न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 07/2016

बउनवान

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा अन्ता जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– नवलकिशोर पुत्र रघुनाथ जाति–मीणा निवासी मूण्डला तह. मॉगरोल
2– ब्रांच मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेलकलां तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी नायब तहसीलदार–मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 287 दिनांक 03.02.2015 वाके ग्राम मूण्डला तहसील–मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री चन्द्रप्रकाश यादव, अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम–1)**

निर्णय दिनांक– 13.05.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मूण्डला पटवार हल्का छतरपुरा तहसील–मॉगरोल में आराजी खाता संख्या नई 6 पुरानी 6 सम्वत् 2068–71 कुल किता 16 रकबा 11.38 हैक्टयर स्थित है जिसमें हिस्सा 1/3 रेस्पों0 कम–1 नवलकिशोर खातेदार दर्ज है। रेस्पों0 कम–1 द्वारा के0सी0सी0 ऋण प्राप्त करने हेतु अपीलांट बैंक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी ऋण पत्रावली तैयार कर राशि 982900/– रूपये धारा 6(1) के अधीन घोषणा हेतु रहन दर्ज करने के लिये दिनांक 21.11.2014 को प्रपत्र प्रस्तुत किये थे जो दिनांक 28.11.2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 पुष्ठ सं0 406 पर उपपंजीयक सीसवाली द्वारा रहन दर्ज किया गया था तथा अपीलांट बैंक के हक में इन्तकाल दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी छतरपुरा को भिजवाया गया था। लेकिन हल्का पटवारी छतरपुरा द्वारा अपीलांट बैंक के हक में दिनांक 20.2.2015 तक रहन दर्ज नहीं किया गया ।

2– रेस्पों0 कम–1 नवलकिशोर द्वारा अपीलांट बैंक को धोखाधडी करते हुये उसके खाते व हिस्से की 1/3 आराजी पर पुनः ऋण, लेने के उद्धेश्य से रेस्पों कम–2 ब्रांच मैनेजर बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेलकलां तहसील मॉगरोल में आवेदन प्रस्तुत कर दिया तथा बैंक द्वारा भी भेजे गये धारा, 6(1)प्रपत्र घोषणा दिनांक 27.1.2015 पुस्तक नं0 1 जिल्द सं0 3 पुष्ठ सं0 488 पर दर्ज किया जाकर, इन्तकाल नं0 287 दिनांक 03.02.2015 को दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून होकर निरस्त योग्य है। अपीलांट बैंक द्वारा दिनांक 29.11.2014 को स्वीकृत ऋण राशि में से रेस्पों0 कम–1 नवलकिशोर को 657500/– रूपये दिनांक 1.12.2014 को अपीलांट बैंक शाखा अन्ता द्वारा जारी कर दिया गया तथा अपीलांट बैंक को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जानकारी होने पर दिनांक 11.3.2015 को शाखा प्रबंधक बैंक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पचेलकलां को आवेदन प्रस्तुत किया तथा नवलकिशोर को ऋण न देने हेतु आग्रह किया तथा उनके द्वारा दिया गया ऋण वसूली हेतु कार्यवाहीं करने का आग्रह किया। इसपर अपीलांट बैंक को जानकारी होने पर दिनांक 20.2.2015 को तहसीलदार मॉगरोल एवं नायब तहसीलदार सीसवाली को आवेदन करने पर उनके द्वारा अपीलांट बैंक के हक में इन्तकाल नं0 288 दिनांक 2.6.2015 को रहन दर्ज करना स्वीकार किया। अपीलांट बैंक का रहन पहले दिनांक 28.11.2014 को स्वीकार किया गया। रेस्पों क्रम–2 बैंक का ऋण दिनांक 27.1.2015 को दर्ज किया गया। जबकि अपीलांट बैंक का रहन इन्तकाल पहले दर्ज किया जाना चाहिये था तथा रस्पों0 क्रम–2 बैंक बडौद राज. क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक का बाद में दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल गैरकानूनी होने से इन्तकाल नं0 287 निरस्त किया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 287 ग्राम मूण्डला निरस्त फरमाया जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् के उपस्थित होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पों0 क्रम–1 ने अपीलांट बैंक से खातेदारी आराजी किता 16 रकबा 11.38 है0 हिस्सा 1/3 वाके ग्राम मूण्डला पर के0सी0सी0 ऋण हेतु आवेदन करने पर, 982900/–रूपये का धारा 6(1) प्रस्तुत करने पर, उप पंजीयक,सीसवाली से रहन दर्ज कराकर, हल्का पटवारी छतरपुरा को बैंक के हक में रहन इन्तकाल दर्ज करने हेतु भेजा गया था। किन्तु हल्का पटवारी ने इन्तकाल दर्ज नहीं किया। इसी बीच रेस्पों0 क्रम–1 नवलकिशोर ने जालसाजी से उक्त रहन दर्ज नहीं होने का फायदा उठाकर उसके खाते व हिस्से की आराजी 1/3 पर पुनः बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पचेलकलां से प्राप्त कर लिया है जिसका धारा 6(1) दिनांक 27.1.2015 को जारी हुआ तथा पंजीयन होने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा रेस्पों0 का रहन इन्तकाल नं0 287 दिनांक 03.02.2015 को दर्ज किया गया। जो पूर्णतया विधि विरूद्व एवं गैरकानूनी एवं निरस्त होने योग्य है। क्योकि अपीलांट बैंक के पक्ष में रहन पहले दर्ज हुआ था इसलिये उक्त आराजी पर पहले इन्तकाल उसके हक में तस्दीक होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तत्पश्चात् तहसीलदार, मॉगरोल व नायब तहसीलदार, सीसवाली से इस बाबत तकाजा करने पर रहन इन्तकाल नं0 288 दिनांक 02.06.2015 को दर्ज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, द्वारा तस्दीकी रहन इन्तकाल दिनांक 287 दिनांक 03.02.2015 निरस्त , उक्त आराजी पर रेस्पों0 क्रम–2 बैंक का नाम डिलीट किया जाकर, क के नाम रहन इन्तकाल दर्ज किया जावे।

इसके विपरीत रेस्पों0क्रम–1 अभिभाषक का अपीलांट अभिभाषक के खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि रेस्पों0 ने अपीलांट बैंक से खातेदारी के0सी0सी0 ऋण राशि प्राप्त की थी, जिसकी सम्पूर्ण राशि का भुगतान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 01.08.2017 को बैंक अपीलांट को किया जा चुका है। जिसका संबंधित बैंक द्वारा रेस्पों0 के पक्ष में दिनांक 02.08.2017 को नो ड्यूज प्रमाणपत्र भी जारी किया जा चुका है। उक्त आराजी अपीलांट बैंक से ऋण मुक्त हो चुकी है तथा अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक का रहन नोट हटाया जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अपील में मुख्य विवाद रेस्पों0 क्रम—1 द्वारा खातेदारी की आराजी हिस्सा 1/3 पर दोनो बैंको से के0सी0सी0 ऋण लिये जाने पर, रहन इन्तकाल पर नोट अंकन से संबंधित है। चूकि उभयपक्ष को सुनने से जाहिर आया है कि रेस्पों0 क्रम—1 नवलकिशोर द्वारा अपीलांट बैंक से प्राप्त के0सी0सी0 ऋण को दिनांक 01.08.2017 को चुकता कर दिया गया है तथा संबंधित बैंक द्वारा नो ड्यूज प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पों0 द्वारा अपीलांट बैंक से के0सी0सी0 ऋण के पेटे प्राप्त की गयी रकम को चुकता कर दिया है, अब कोई राशि बकाया नहीं रहीं है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अपील को इस प्रकार निर्णित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल रहन मुक्ति प्रमाणपत्र के आधार पर, तस्दीकी रहन इन्तकाल नं0 288 दिनांक 02.06.2015 में अपीलांट बैंक आई0सी0आई0सी0आई0 के रहन आराजी हिस्सा 1/3 का नोट हटाया जावे। उक्त इन्तकाल में शेष नोट बदस्तूर यथावत रखे जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official